विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	1
2	आयोग के कार्य	1–2
3	आयोग तथा इसका सचिवालय	2–3
4	आयोग के मानव संसाधन	3–5
5	वर्ष के दौरान गतिविधियां	5–7
6	उपभोक्ता फोरम	7–9
7	राज्य आयोग, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय में विद्युत विवादों का अधिनिर्णय	9–13
8	वित्त एवं लेखा	13–15
9	समन्वय फोरम	15–19
10	तकनीकी / विनियामक / टैरिफ विषलेषण मामले	20–26
11	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना	26–42
अनुलग्नक		
अनुलग्नकों के लिए कृपया अंग्रेजी भाग देखें		

1 परिचय

हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14वां) के अधीन 30.12.2000 को किया गया था। आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को षिमला स्थित मुख्यालय से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2009–10 में आयोग ने अपने कार्यालय के 9वें वर्ष में प्रवेष किया।

पुनर्विनियमन विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) के अधीन राज्य सरकार को अपने विद्युत क्षेत्र को यथोचित ढंग से विकसित करने हेतु पर्याप्त ढील प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत :–

(क) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण, व्यापार, विद्युत उपयोग से सम्बन्धी कानूनों का समेकन।

(ख) विद्युत उद्योग में प्रतिसपर्द्धा की भावना का विकास तथा उन्नयन।

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनकी षिकायतों का निराकरण।

(घ) सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति।

(ड.) विद्युत प्रभार को युक्तिसंगत बनाना क्रास, उपदान स्तर को कम करना।

पर्यावरण मित्र नीतियों के द्वारा कार्यकुषलता तथा मितव्ययता आदि को बढ़ावा देना इसी के दृष्टिगत आयोग द्वारा राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न विनियम तैयार तथा अधिसूचित किए गये हैं। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अधीन वर्ष 2009–10 की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट विधान सभा पटल पर रखी जाएगी।

2 आयोग के कार्य

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) के अधीन राज्य आयोग को निम्नलिखित अनिवार्य कार्य सौंपे गये हैं।

- राज्य के अन्दर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु बहुल, थोक अथवा खुदरा यथास्थिति, शुल्क निर्धारित करना। यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुँच की अनुमति प्रदान की गई हो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग उपभोक्ता के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा।
- राज्य के भीतर विद्युत आपूर्ति एवं वितरण हेतु उत्पादन करने वाली कम्पनियों अथवा लाईसैंसधारियों अथवा किन्हीं अन्य स्रोतों से अनुबन्ध

द्वारा किस कीमत पर विद्युत प्राप्त की जाए तथा वितरण लाईसैंसधारियों सम्बन्धी विद्युत क्रय तथा प्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना।

- अन्तरराजीय विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- राज्य के भीतर संचारण, वितरण तथा विद्युत व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को लाईसैंस जारी करना।
- नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों तथा सह उत्पादन को विकसित करने हेतु उन्हें ग्रिड से जोड़ने के लिए उपयुक्त उपाय करना, किसी व्यक्ति को बिजली बेचने तथा उसके साथ ही ऐसे स्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाईसैंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिषतता निर्धारित करना।
- लाईसैंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना।
- अधिनियम के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना।
- धारा 79 की उप धारा (1) के खण्ड (एच) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।
- लाईसैंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवता, निरन्तरता तथा विष्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।
- यदि आवष्यक हो तो राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।
- ऐसे अन्य सभी कार्यो का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे जाए।

इसके साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(2) के अधीन आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य मामले में परामर्ष प्रदान कर सकता है :–

(i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।

(ii) विद्युत उद्योग में निवेष को बढ़ावा देना।

(iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुर्नसंगठन तथा पुनर्निर्माण।

(iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण, व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजे जाएं।

3 आयोग तथा इसका सचिवालय

अधिनियम की धारा 82(4) के अनुसार राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे, जबकि वर्तमान में एक सदस्यीय आयोग का कार्य 31.1.2006 से श्री योगष खन्ना की अध्यक्षता में किया जा रहा है। प्रदेष में अपने कार्य निष्पादन के दौरान आयोग का निरन्तर प्रयास रहा है कि हिमाचल प्रदेष में अपने कार्य निष्पादन के दौरान लिए गये निर्णयों में पूर्ण पारदर्षिता बरती जाए। आयोग के सचिव द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सभी वैधानिक मामलों, कार्मिक, प्रषासनिक, लेखा व वित्त तथा कार्यकारी निदेषकों द्वारा उपयोग को सभी तकनीकी मामलों जैसे विनियमों को बनाना, तकनीकी व आर्थिक अनुमोदन, पी. पी. ए. तथा टैरिफ विष्लेषण इत्यादि में अध्यक्ष को सहयोग दिया गया। अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में आवष्यक सहयोग प्रदान किया है।

4 आयोग के मानव संसाधन

4.1 सामान्य

वर्ष के दौरान आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य विभागों/निगमों में प्रतिनियुक्ति/सैकिन्डमैन्ट के आधार पर विभिन्न कार्यो जैसे इंजीनियरिंग, वित्तीय विष्लेषण, लेखा, सूचना तकनीकी तथा मानव संसाधन प्रबन्धन आदि क्षेत्रों के लिए कार्य में लगाए गए।

वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय सहायता तथा अन्य आन्तरिक कार्यो के निष्पादन हेतु वाह्य स्त्रोत्रों (सर्विस प्रोवाइडर) के माध्यम से मितव्ययता तथा कार्यदक्षता के दृष्टि सेवाएं जारी रखी गई। 31.3.2009 तक आयोग में कुल 29 कर्मचारी कार्यरत्त रहें। नियमित कर्मचारियों के अभाव तथा कार्य के बढ़ते हुए बोझ के मध्यनजर आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में परामर्षदात्ताओं की विषेष सेवाएं भी ली गई।

आयोग का संगठनात्मक चार्ट परिषिष्ट–1 पर तथा कर्मचारियों की सूची परिषिष्ट–।। पर संलग्न है।

4.2 कार्मिक एवं प्रषासन

आयोग के संगठनात्मक उद्देष्यों की प्राप्ति अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मिलजुल कर कार्य करने से की गई, कार्मिक तथा प्रषासनिक, लेखा एवं वित्त तथा विधि शाखाएं आयोग के सचिव के अधीन कार्य कर रही हैं, जो कार्यकारी तथा गैर कार्यकारी कर्मचारियों की भर्ती, वित्तीय सेवाएं, बजट, क्रय एवं प्रापण, अनुरक्षण एवं देखभाल, कार्मिक प्रषासन, विधि मामले, प्रषिक्षण तथा कार्य मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। श्री बी. एम. नान्टा (हि०प्र०से०) 10.10.2008 तक आयोग के सचिव रहे। दिनांक 28.2.2009 तक श्री मदन चौहान (हि०प्र०से०) इस पद पर कार्यरत रहें तथा इस समय 28.2.2009 से श्रीमति पूर्णिमा चौहान (हि०प्र०से०) सचिव का कार्य देख रही हैं। ये सभी अधिकारी आयोग में सैकिन्डमैंन्ट आधार पर कार्यरत रहें। आयोग के कार्मिक प्रषासनिक तथा वित्तीय लेखा सम्बन्धी कार्यो के निष्पादन हेतु सचिव को एक कार्मिक एवं प्रषासनिक अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड–।।, तीन वरिष्ठ सहायकों तथा एक रिकार्ड कीपर द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।

4.3 अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति

गत वर्ष के दौरान श्री महेष सरकेक के अपने मूल विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत्ति के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 29.1.2009 से कार्यकारी निदेषक (टी.एफ.ए.) के रूप में सैकिन्डमैन्ट आधार पर नियुक्त किया गया। इसी प्रकार श्री सुषील कष्यप, वरिष्ठ सहायक के तदर्थ रूप में प्रोन्नत होने के पष्चात 13.2.2009 को उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। निजी सहायक के रिक्त पद पर दिनांक 19.2.2009 से श्री अषोक गौतम को सैकिन्डमैंट आधार पर नियुक्त किया गया। निदेषक (टी ई) तथा विधि अधिकारी आदि के रिक्त पदों को विज्ञापन के माध्यम से भरने के प्रयास किए गये किन्तु उपयुक्त प्रक्रिया के अभाव में इन्हें नहीं भरा जा सका तथापि इन्हें भरने की कार्यवाही जारी है।

4.4 परामर्षदात्ताओं की सेवाएं

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91(4) के अधीन आयेाग अपनी शर्तों एवं निबन्धन के अनुरूप कार्य निष्पादन हेतु परामर्षदात्ताओं की नियुक्ति करता है। श्री बी.एस. बक्षी, सेवानिवृत कार्यकारी निदषक, तथा श्री एस. के.

चानणा, सेवानिवृत सदस्य (तकनीकी) हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड को अन्य एक वर्ष की अवधि के लिए क्रमषः 2 जनवरी, 2009 तथा 14 मार्च, 2009 से रिटेनर परामर्षदात्ता (तकनीकी I तथा ।।) के रूप में नियुक्त किया गया। इसी प्रकार श्री शषिभूषण शर्मा (कम्पयूटर नेटवर्क एवं सर्वर मैनेजमैंट) की परामर्ष अविध में 6 अगस्त, 2008 से अगले एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया। श्री जी. पी. अत्री को 1 दिसम्बर, 2008 से एक अन्य वर्ष के लिए पुनः रिटेनर परामर्षदात्ता (विधि) नियुक्त किया गया। शुल्क, वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धित मामलों में सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से श्री बी. के. सेठ को भी 28 फरवरी, 2009 से एक वर्ष के लिए रिटेनर परामर्षदात्ता (एफ. एण्ड ए.) के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा समय–समय पर प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के आधार पर टैरिफ याचिका के निर्धारण तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में संस्थागत परामर्षदाताओं की सेवाएं ली गई।

4.5 उपभोक्ता प्रतिनिधि

आयोग के समक्ष उपभोक्ताओं के हितों की पैरवी करने के लिए श्री प्रेम नाथ भारद्वाज को इस वर्ष भी उपभोक्ता प्रतिनिधि के रूप में अनुवंधित रहे।

5 वर्ष के दौरान गतिविधियां

5.1 प्रषिक्षण/कार्यषालाएं/बैठकें

वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को विभिन्न प्रषिक्षणों/सम्मेलनों/कार्यषालाओं/बैठकों आदि, विषेष रूप से भारत वर्ष में विद्युत संचारण क्षेत्रों, पुनः नवीकरण ऊर्जा, ग्रिड सुरक्षा एवं प्रबन्धन, भारत वर्ष में विद्युत वितरण, विद्युत मीटर, सूचना का अधिकार अधिनियम, हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड में विद्युत सुधार, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजा गया। जिन अधिकारियों ने प्रषिक्षण/सम्मेलनों/बैठकों में भाग लिया उनका विवरण परिषिष्ट–।।। में दर्षाया गया है।

5.2 कम्पयूट्रीकरण

आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्पयूटर उपलब्ध

करवाए गये हैं। उनकी क्षमता तथा संगति के दृष्टिगत इन्हें लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान–प्रदान प्राथमिकता तथा विष्वसनीय रूप से किया जा सके। पूर्व स्थापित कम्पयुटर नेटवर्क को बढ़ाते तथा उन्नयन करते हुए आयोग में इस समय दो सर्वर, 35 डैस्क्टॉप, 15 प्रिंटर तथा 2 फोटोकोपियर कम फैक्स के अतिरिक्त आठ लैपटॉप, एक प्रोजेक्टर, एक दृष्य–श्रव्य सिस्टम तथा अन्य बाह्य हार्डवेयर एवं मानक सॉफ्टवेयर आईटम प्रदान किए गये हैं। LAN को आयोग तथा ओमवड्समैन कार्यालय के समीपवर्ती भवन तक बढ़ाया गया है ताकि संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

5.3 वेबसाईट

सूचना के अधिकार अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग विनियमनों के अधीन महत्त्वपूर्ण सूचना को आयोग की वेबसाईट http://www.hperc. org में समाविष्ट किया गया हैं, जिनके माध्यम से हिमाचल प्रदेष विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों के लिए आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में सुलभ जानकारी विस्तृत प्रचार–प्रसार के साथ पारदर्षिता से उपलब्ध करवाई जा रही है।

5.4 पुस्तकालय

आयोग से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकें विधि जर्नल तथा अन्य दस्तावेजों को अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक समय–समय पर पुस्तकालय के लिए क्रय किया गया।

5.5 समाचार पत्र कतरन सेवा

राज्य के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र में घटित होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।

5.6 संसद/विधान सभा प्रष्न/विषिष्ट व्यक्ति के सन्दर्भ

संसद/विधान सभा प्रष्न तथा विषिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भो का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया गया। विषिष्ट व्यक्तियों, भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेष सरकार तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से विभिन्न विद्युत क्षेत्रों पर प्राप्त संदर्भो पर प्राथमिकता के अधार पर कारगर संवाद स्थापित कर कार्यवाही की गई।

6 उपभोक्ता फोरम

6.1 उपभोक्ताओं की षिकायतों के निपटान हेतु फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 181 के अधीन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की षिकायतों के निराकरण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम हेतु दिषा–निर्देष) जारी किए हैं। विनियम 3 के अधीन वितरण लाईसैंसधारी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति में कमी तथा दोष, अनुचित व्यापार पद्धति, लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत लाईन तथा समवर्गी सेवाओं आदि के अधिक प्रभार तथा मूल्य बसूली सम्बन्धी षिकायतों के निराकरण हेतु कसुम्पटी, षिमला में तीन सदस्यीय फोरम का गठन किया गया है। वितरण लाईसैंसधारी अर्थात बोर्ड द्वारा दो सदस्य नियुक्त किए गए थे, एक अन्य स्वतन्त्र सदस्य श्री डी. के. गुप्ता सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता को आयोग द्वारा अपने आदेष दिनांक 1.10. 2008 के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक नामित किया गया। स्वतन्त्र सदस्य का नामांकन हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियमन आयोग के विनियमन, 2008 के विनियम 3 के उप विनियमन (9) के खण्ड (बी) (उपभोक्ता की षिकायतों के निराकरण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम हेतु दिषा–निर्देष) (6वां संषोधन) के अधीन किया गया जिसे दिनांक 31 जुलाई, 2008 को विधिवत रूप में राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया। फोरम के आदेष से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फोरम के निर्णय के विरूद्ध 40 दिन की अवधि के भीतर विद्युत ओमबड्समैन के समक्ष अपील दायर कर सकता है। फोरम से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.4.2008 से 31.3.2009 तक प्राप्त तथा निपटाई गई षिकायातें का विवरण निम्न तालिका में दर्षाया गया है।

क्र	शिकायत की स्थिति	प्रभावकारी विद्युत आपूर्ति में बिलम्ब	बोल्टेज़ की गुणवता	रूकावटें	मीटर सम्बन्धी समस्याएं	बिल सम्बन्धी समस्याए	टैरिफ समस्याए	अन्य	कुल
1	गत वर्ष 31.3.08 के अन्त तक लम्बित षिकायतें	–	1	–	8	14	28	9	60
2	रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त षिकायतें	–	–	–	2	8	8	4	22
3	कुल षिकायतें	–	1	–	10	22	36	13	82
4	रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त षिकायतों पर कार्यवाही	–	2	–	1	7	1	2	13
5	शेष षिकायतें	–	1	–	10	15	35	11	72
6	3 महीने से अधिक तथा 6 महीने से कम लम्बित षिकायतें	–	–	–	–	–	2	1	3
7	6 महीने की अवधि से अधिक लम्बित षिकायतें	–	1	–	10	13	30	9	63

6.2 विद्युत ओमबड्समैन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) तथा हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) विनियम, 2004 के अधीन 02.01.2008 को आयोग द्वारा श्री एस. के. सूद को विद्युत ओमबड्समैन नियुक्त किया गया। उनके द्वारा उपरोक्त विनियमों के अधीन वर्ष के दौरान उसके समक्ष प्रस्तुत उपभोक्ता षिकायतों के निराकरण सम्बन्धी कार्य का निष्पादन किया गया। उपभोक्ताओं की षिकायतों को फोरम द्वारा निराकरण न किए जाने अथवा उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गये निर्णय के

विरूद्व उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन विद्युत ओमबड्समैन षिकायतों पर सहमति, समझौता अथवा मध्यस्थता करके अथवा विनियमों के अनुसार निर्णय देकर मामलों का निपटारा कर सकता है। फोरम के किसी आदेष से पीड़ित व्यक्ति अथवा फोरम द्वारा उसकी षिकायत का निराकरण न किए जाने की स्थिति में वह अपनी षिकायत के निराकरण हेतु विद्युत ओमबड्समैन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आोमबड्समैन को उक्त विनियम की धारा 11, 12 और 13 के अधीन विवादों की सहमति व अधिनिर्णय देकर उनकी अनुपालना को सुनिष्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई है। विद्युत ओमबड्समैन को उसे प्रस्तुत किसी भी षिकायत के सम्बन्ध में प्राप्त होने की तिथि से तीन मास की अवधि के अन्दर अपना अधिनिर्णय देना होगा तथा उसका अधिनिर्णय दोनों पक्षों को 30 दिनों की अवधि के भीतर स्वीकार करना आवष्क होगा। किसी अधिनिर्णय अथवा अनुबन्ध के कार्यान्वयन न होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति आयेाग से सम्पर्क स्थापित कर सकता है तथा आयोग इसके कार्यान्वयन हेतु उचित कार्यवाही करेगा। फोरम के आदेष से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेष जारी होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर विद्युत ओमबड्समैन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विद्युत ओमबड्समैन के पास 1.4.2008 से 4 मामले लम्बित थे। वर्ष के दौरान बिलिंग से सम्बन्धित 4 अतिरिक्त प्रतिवेदन/आवेदन प्रस्तुत किए गये। 31.3.2009 तक लम्बित 8 आवेदनों में से 6 का निर्णय किया गया तथा शेष बिलिंग से सम्बन्धित 2 आवेदन 1.4.2009 को निर्णय हेतु लम्बित हैं।

7 राज्य आयोग, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा विद्युत सम्बन्धी न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का अधिनिर्णय

7.1 राज्य आयोग के समक्ष मामले

आयोग में याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों तथा आपत्तियों का आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा परीक्षण तथा छानबीन की जाती है। वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग में विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादात्ताओं तथा लाभार्थियों से 66 नई याचिकाएं प्राप्त हुई जिन में से 31.3.2009 तक 46 याचिकाओं का निपटान किया गया तथा 20 याचिकाएं निर्णय के लिए लम्बित पड़ी है। इसके अतिरिक्त कुछ

पुरानी याचिकाओं का भी निपटान किया गया। दायर की गई याचिकाओं जिन पर निर्णय दिया गया तथा लम्बित याचिकाओं का विवरण परिषिष्ट IV में दिया गया है।

7.2 माननीय उच्च न्यायालय/विद्युत अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले

आयोग के कर्मचारी विधिक कार्यो तथा टिप्पणिया तैयार करना, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अपील, न्यायाधिकरण में दायर की जाने वाली याचिकाओं तथा शपथ पत्रों को तैयार करने में वकीलों से सम्पर्क स्थापित करते हैं जिससे विधिक परामर्ष के साथ–साथ आवष्यकता पड़ने पर न्यायालयों में उत्तर देने तथा विभिन्न विनियमों को तैयार करने में भी सहायता प्राप्त होती है, इसके साथ ही वे आयोग को लम्बित मामलों की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाते हैं।

श्री नरेष कुमार सूद अधिवक्ता की सेवाएं उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेष में चल रहे मुकदमों की पैरवी के लिए स्टेंडिंग कॉसिल एवं विधि परामर्षदाता के रूप में रिटेनरषिप फीस के आधार पर जारी रही। इसी प्रकार श्री संजय सेन अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय भारत सरकार की सेवाएं भी आयोग द्वारा विद्युत अपील न्यायाधिकरण नई दिल्ली में चल रहे विभिन्न अपीलीय मामलों की पैरवी हेतु ली गई।

वर्ष के दौरान विद्युत अपील न्यायाधिकरण द्वारा अपील संख्या 135/2006,136/2006, 68/2006, 64/2008, 206/2006, 147/2007, 39/2009 तथा 209/2009 पर अपना निर्णय दिया। बोर्ड द्वारा विद्युत अपील न्यायाधिकरण में दायर की गई अपील संख्या 135/2006 बोर्ड द्वारा दिनांक 18.11.2004 को संरचनात्मक विकास में बड़ौतरी से सम्बन्धित है। संरचनात्मक प्रभार से सम्बन्धित अधिसूचना पर आयोग द्वारा रोक लगा दी गई तत्पष्चात बोर्ड द्वारा बढ़े हुए प्रभार सम्बन्धी अपनी याचिका को 28.12.2004 को वापिस ले लिया गया। आयोग द्वारा इस मामले की 27.12.2005 की सुनवाई के पष्चात दिनांक 6.4.2005 को प्रतिरोधी आदेष पारित करके 1.00 लाख रुपये का जुर्माना तथा आदषों के उल्लंघन करने

पर दिनांक 18.11.2004 से 6000/– रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त पैन्लटी के आदेष जारी किए, आयोग के इन आदेषों को विद्युत अपील न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त किया गया तथा अपील के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस भी खारिज किया गया। बोर्ड द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2008 को विद्युत अपील न्यायाधिकरण में दायर अपील संख्या 2006 की 136 को बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु फोरम के गठन हेतु मार्गदर्षन) विनियम, 2003 तथा एतद् सम्बन्धी आयोग द्वारा किए गये परवर्ती संषोधनों के दृष्टिगत निष्फल करार करते हुए खारिज कर लिया गया। इसी प्रकार जांच अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित अपील संख्या 68/2006 को आयोग द्वारा उपयोगिता के माइक्रो मैनेजिंग मामलों हेतु ''जांच अधिकारी'' की नियुक्ति से सम्बन्धित आयोग के 23.12.2005 के ओदष को भी विद्युत अपील न्यायाधिकारण द्वारा दिसम्बर 3, 2008 को इस आधार पर खारिज किया गया कि आयोग की मंषा किसी जांच अधिकारी को नियुक्त करने की नहीं है यदि बोर्ड आयोग द्वारा जारी निर्देषों का पालन करता है। मैसर्ज एच.एम. स्टील्ज लिमिटिड द्वारा अपील न्यायाधिकरण में दायर याचिका संख्या 2008 की 64 पी. आई. यु. इकाईयों पर लगाए गए अधिक विद्युत प्रभार हैं। ऊर्जा पर आधारित उद्योग पी. आई. यु. के वर्ग का निर्माण तथा पीक लोड छूट प्रभारों में दो प्रकार के शुल्क लगाने से सम्बन्धित है जैसा कि आयोग द्वारा अपने 16. 04.2007 के शुल्क आदेषों में दर्षाया गया है। अपीलकर्ता द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा ।।। (2) के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर याचिका दायर करने में विलम्ब के लिए छूट भी मांगी है तथा न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रतिरोधी शुल्क आदेष के विरूद्ध याचिका पर विचार करने की भी सहमति प्रदान की। अपील संख्याः 64/2008 पर अपील न्यायाधिकरण द्वारा 10.12.2008 को प्रतिवादी बोर्ड के विरूद्व लागत सहित निर्णय देते हुए इसे खारिज किया गया तथा अपीलकर्ता द्वारा 6 जनवरी, 2009 को दायर पुनर्विचार याचिका संख्या 2008 की 64 जिसमें 10.12.2008 के आदेष को वापिस लिए जाने का अनुरोध किया गया था की मूल अपील संख्या 2008 की 64 के अधीन पहले मांगी गई छूट प्रदान की जाए, इस पर अन्तिम फौसला अभी आना है। हिमाचल स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएषन द्वारा अपील न्यायाधिकरण में दायर संख्या 2006 की 206 में अनुरोध किया गया है कि पी. आई. यु.

टैरिफ शैडयूल के अनुसार प्रभार न बसूले जाए तथा साथ ही अनुबंध मांग में परिवर्तन किए जाने हेतु लगाए जाने वाले प्रक्रिया शुल्क तथा पीक लोड के दौरान छूट देने का अनुरोध किया गया है, यद्यपि यह अपील अपीलकर्ता द्वारा वापिस ले ली गई है क्योंकि इन मामलों को पहले ही निपटाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेष सरकार के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दायर एक अन्य अपील संख्या 147/2007 में अनुरोध किया गया था कि उठाऊ सिंचाई स्कीम पर प्रभार ''जल पम्पिंग शुल्क'' की अपेक्षा ''कृषि पम्पिंग विद्युत आपूर्ति शुल्क'' के समान लिया जाए, इसके साथ ही 3 जुलाई, 2006 को जारी शुल्क आदेषों में भी संषोधन करने की प्रार्थना की गई, अपील न्यायाधिकरण द्वारा अपने 21 अक्तूबर, 2008 के निर्णय में स्पष्ट किया गया कि आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) में दिये गये अधिकार के अन्यथा किन्हीं दो उपभोक्ताओं के साथ भेद–भाव नहीं कर सकता, न्यायालय ने आयोग को आदेष दिए कि शुल्क का निर्धारण किसी वर्ग विषेष पर लागू होने वाली शर्तों के अनुसार बिना किसी बसूली से किया जाए, तथापि वर्ष 2006–07 के राजस्व आवष्यकता का समायोजन आगामी समानायोक्ति प्रक्रिया के दौरान किया जाए।

बोर्ड द्वारा अपील न्यायाधिकरण में दायर अपील संख्या 39/2009 में आग्रह किया गया था कि आयोग द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2008 को जारी किए गये आदेषों को रद्द किया जाए जबकि आयोग का दावा था कि बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैंस निष्पादन का स्तर) विनियम 2005 का अनुपालन न करने हेतु उपभोक्ता षिकायतों के निराकरण हेतु कॉल सैन्टर स्थापित नहीं किया गया अतः बोर्ड पर 25,000/– की पैनल्टी तथा 1.1.2008 से 2000/– रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस समय तक पैनल्टी अदा करने के आदेष दिए जब तक कि हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड राज्य आयोग के आदेषों की अनुपालना नहीं करता। अपील न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2009 को दिए गये अपने निर्णय में निर्देष दिए कि अपीलकर्ता द्वारा मात्र पैन्लटी माफ करने का अनुरोध किया गया है अतः आवेदक आयोग को पुनः प्रतिवेदन दे सकता है तथा आयोग आवेदक द्वारा दी गई परिस्थितियों के दृष्टिगत उचित आदेष पारित करें। बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचा कि बोर्ड द्वारा आदेषों का उचित पालन नहीं किया है अतः उसके पास नये दिनांक 5 अप्रैल, 2008 को जारी आदेषों पर संषोधन का कोई आधार नहीं है, अतः

बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई। इसी प्रकार 2006 की अपील संख्या 209 में बोर्ड द्वारा अपील न्यायाधिकरण से प्रार्थना की है कि आयोग द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2006 को जारी किए गये आदेषों में संषोधन किया जाए तथा इन पर रोक लगाई जाए, इस दिषा में बोर्ड द्वारा बोर्ड की विकास निधि की स्थापना सम्बन्धी अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपील न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के निर्णय आदेष पर अपना निर्णय दिया जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ने 17.1.2009 को अपील संख्या 209/2006 के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका संख्या 3/2009 दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि राज्य आयोग द्वारा मंहगाई भत्ता तथा इक्विटि से प्राप्त आय अथवा इसकी मनाही पर विचार किया जाए, इस पर अपील न्यायाधिकरण द्वारा अपना निर्णय अभी तक नहीं दिया गया है।

8 वित्त एवं लेखा

8.1 वित्त

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग की समस्त प्राप्तियों तथा भुगतान हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः एमपीपी–ए (3)–7/2004 दिनांक 03.05.2007 के अधीन स्थापित आयोग की निधि के अनुरूप विनियमित किए गये। अयोग के विभिन्न कार्य क्लापों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए 90.00 लाख रुपये की राषि मुख्य लेखा शीर्ष 2801–800–80–02–41 के अधीन सहायतानुदान के रूप में प्रदान की गई। अयोग के वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखा निधि नियमों में विहित प्रपत्रों पर तैयार किए गये। आयोग के लेखों को प्राप्ति तथा भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र के रूप में तैयार किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग की कुल आय 391.24 लाख रुपये थी जिसमें सहयतानुदान के रूप में प्राप्त 90.00 लाख रुपये की राषि भी शामिल है जबकि सम्बधित वर्ष में कुल 252.78 लाख रुपये का व्यय हुआ जिसके अनुसार आय तथा व्यय लेखा के अनुसार 31.3.2009 के अन्त में 138.46 लाख रुपये का अधिक्य रहा।

8.2 आयोग की वित्तीय स्थिति

आयोग की 31.3.2009 तक की वित्तीय स्थित का विवरण नीचे दिया जा

रहा है :–

(रुपये लाखोंमें)

दायित्व		परिसम्पत्तियां	
विवरण	राषि	विवरण	राषि
व्यय से अधिक कुल आय	1055.74	स्थाई परिसम्पत्तियां	40.42
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	22.16	निवेष	860.50
		अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां तथा अग्रिम	149.01
		जमा राषि	0.40
		नकदी तथा बैंक शेष	27.57
योग	1077.90		1077.90

आयोग की लेखा परीक्षा

आयोग के वर्ष 2008–09 के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेष द्वारा की जानी है तथापि पुराने लम्बित ऑडिट पैरों की वर्षवार स्थिति नीचे दी जा रही है :–

क्र.सं.	वर्ष	पैरों की संख्या	2008–09 के दौरान निपटाए गये पैरों की संख्या	बकाया पैरों की संख्या
1	2004–05	08	06	02
2	2005–06	05	04	01
3	2006–07	08	03	05

4	2007–08*	05	–	–

* लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्ट मई, 2009 में प्राप्त हुई

8.3 विधान सभा के समक्ष आयोग के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करना

आयोग की वर्ष 2007–08 के वार्षिक लेखे निधि नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए गये हैं। भारत सरकार के महालेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखें तथा एद्त सम्बन्धी लेखा रिपोर्ट विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई है जैसा कि हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग निधि नियम 7(4) द्वारा वांछित है।

9 समन्वयन फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 में उपबन्धित है कि देष में ऊर्जा प्रणाली के निर्वाध तथा समेकित विकास हेतु समन्वयन फोरम स्थापित किए जाएं। धारा 166 की उपधारा (2) में विनियामकों के फोरम गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अन्य गतिविधियों के साथ सक्रिय तालमेल तथा विनियामकों द्वारा समान सुधार नीति अपनाने हेतु आयोग की गतिविधियां क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर समबद्ध सदस्यों द्वारा निम्न रूप से संचालित की जायेगी।

9.1 आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एषिया फोरम (SAFIR)

उपयोगिता विनियम के लिए अन्तराष्ट्रीय फोरम के अधीन कार्यरत आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एषिया फोरम मई, 1999 को विष्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया जिसके अन्तर्गत बंगलादेष, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत तथा पाकिस्तान के आधारभूत संरचना विनियामकों का नेटवर्क शामिल है। इसके अन्तर्गत विद्युत, प्राकृतिक गैस,

दूरसंचार, जल, परिवहन आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके उद्देष्य में अनुसंधान, विनियामक सुधार प्रक्रिया तथा अनुभव से सम्बन्धित डाटा बैंक उपलब्ध करना तथा ज्ञान एवं प्रवीणता के लाभकारी आदान–प्रदान आरम्भ करना सम्मिलित है।

आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एषिया फोरम की गतिविधियां समस्त सदस्यों से बनी संचारण समिति के मार्ग दर्षन में संचालित होती रही हैं। संचारण स्थिति की 15वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें फोरम को गति प्रदान करने के उद्देष्य से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा श्रीलंका के एक–एक प्रतिनिधि लेकर कार्यकारी समिति गठित की गई। इसमें यह निर्णय भी लिया गया कि सी. ई. आर. सी., एस. ए. एफ. आई. आर. को तीन वर्ष के लिए स्थाई सचिवालय उपलब्ध करवायेगा।

सदस्यों को चार वर्गों में बांटा गया है अर्थात अकादमिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकाय/एन. जी. ओ. निगम/उपयोगिता विनियामक निकाय। एस. ए. एफ. आई. आर. **(SAFIR)** की संचालनासमिति की गत बैठक 9 तथा 10 सितम्बर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष ने भाग लिया था। आयोग द्वारा 19 अप्रैल, 2008 को 60,000 रुपये की राषि वर्ष 2008–09 की नवीनीकृत सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करवाई गई।

9.2 भारतीय विनियामकों का फोरम (एफ.ओ.आई.आर.)

भारतीय विनियामकों का फोरम (एफ. ओ. आई. आर) एक पंजीकृत संस्था है जिसका गठन फरवरी, 2000 में किया गया था। इसकी सदस्यता शुल्क पर आधारित है। एफ. ओ. आई. आर. (FOIR) का उद्देष्य विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्षिता विकसित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा, उपभोक्ता समयक संस्थाओं का विकास, विनियामक संस्थाओं में मानवीय तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास, उपयोगिता तथा अन्य लाभार्थियों, विनियामक विधियों तथा प्रथा को सूचनात्मक आधार प्रदान करना, विनियामक मितव्ययता, स्वतन्त्र विनियामक मैकानिज़्म की वृद्धि में विकास तथा विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्षिता लाना है।

एफ. ओ. आई. आर. (FOIR) द्वारा भारतवर्ष में विद्युत शुल्क के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया। हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग द्वारा भारतीय विनियामकों के फोरम की एक संस्थागत सदस्य के रूप में दिनांक 26 मई, 2001 को सदस्यता ग्रहण की। फोरम का एक शासकीय निकाय है तथा भारतीय विनायमकों के फोरम के सदस्य शासकीय निकाय में अवैतनिक हैसियत से नियुक्ति के पात्र हैं। शासकीय निकाय के सचिवालय को केन्द्रीय विद्युत विनियमन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। एफ. ओ. आई. आर.(FOR)की सर्वोच्चसता सामान्य निकाय में निहित है जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार लगभग जून माह में होगी। एफ. ओ. आई. आर. की सामान्य निकाय की 9वीं बैठक 12 जून, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

9.3 विनियामकों का फोरम (एफ.ओ.आर.)

भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) की शर्तो के अधीन विनियामकों का फोरम गठित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष एफ. ओ. आर. (FOR) के सदस्य भी हैं तथा आयोग शुल्क भी नियमित रूप से जमा करवा रहा है। (विद्युत क्षेत्र में अधिकतर विनियाक निष्चितता प्राप्त करने के उद्देष्य से फोरम पूरे देष में तालमेल स्थापित करने, विद्युत नियामक आयोगों के कार्यो में एक रूपता लाने की दिषा में कार्य करता है)।

वर्ष के दौरान एफ. ओ. आर. (FOR) द्वारा क्षमता निर्माण, खुली पहुँच तथा लोड डिस्पैच सैन्टर एन. पी. टी. आई. फरीदाबाद में, विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों के लिए डिमाड साईड मैनेजमैंट (डी. एस. एम.) एन. पी. टी. आई. फरीदाबाद में, विद्युत क्षेत्र में विनियमन, प्रतिसपर्द्धा तथा उपभोक्ता विषयों के सम्बन्ध में धर्मषाला (हिमाचल प्रदेष) में कार्यक्रम आयोजित किए गये। एफ. ओ. आर. (FOR) की 11 वीं बैठक 2 मार्च, 2009 को आयोजित की गई जिसमें एफ. ओ. आर. सी. पी. यु. सी., सी. ई. सी., एल. बी. एन.एल. के बीच समझौता ज्ञापन, 2009–14 अवधि के लिए शुल्क की शर्तो से सम्बन्धित सी. ई. आर. सी. विनियमों की अनुषंसा ; ''बचत लैम्प योजना'' के सम्बन्ध में ऊर्जा व्यूरो कार्य कुष्ल (बी. ई. ई.) द्वारा प्रस्तुत मांग पर आधारित प्रबन्धन तथा ऊर्जा कुषलता तथा डी. एस.

एम. के सम्बन्ध में अमेरिका के विनियमकों के साथ हुई वार्ता आदि विषयों पर चर्चा की गई। एफ. ओ. आर. (FOR) के लिए वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक अंषदान अब 2.00 लाख प्रस्तावित है।

9.4 एच. पी. ई. आर. सी., जे. के. ई. आर. सी., एच. ई. आर. सी. आर. ई. आर. सी. पी. एस. ई. आर. सी., डी. ई. आर. सी. यु. पी. ई. आर. सी. जे. ई. आर. सी, यू.. ई. आर. सी जैसे उत्तरी क्षेत्र के विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्षों द्वारा उत्तरी क्षेत्र के राज्य से सम्बन्धित सामान्य विनियमन हेतु एक क्षेत्रीय तालमेल फोरम स्थापित किए जाने के बारे में चर्चा की गई। उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के राज्य आयोगों के अध्यक्षों की एक बैठक 18 तथा 19 मार्च, 2008 को पंचकुला में आयोजित की गई जिसमें, एन. आर. एफ. ई. आर. (NRFER) को एक सोसाईटी के रूप में गठित किए जाने के सम्बन्ध में एक समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार किया गया। एन. आर. एफ. ई. आर. (NRFER) का पंजीकृत कार्यालय हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग के वरिष्ठतम अध्यक्ष एन. आर. एफ. ई. आर. (NRFER) के अध्यक्ष होंगे तथा एच. ई. आर. सी. के सचिव इसके सचिव होंगे। सामान्य निकाय तथा कार्यकारी समिति की बैठकें छः महीने में कम से कम एक बार इसके मुख्यालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बारी–बारी से आयोजित की जायेगी। कर्मचारी समिति में नामित 9 सदस्य होंगे। एन. आर. एफ. ई. आर. (NRFER) का उद्देष्य उत्तर क्षेत्र की विषिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्यतः विनियामक मैकानिज़म से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में साझेदारी, उपभोक्ता हित तथा उनकी हिमायत, षिकायत निवारण मैकानिज़म के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं में जागरूकता विकसित करना, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा अध्ययन आरम्भ करना, समान क्षेत्रीय हितों सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा मानवीय एवं संस्थागत क्षमता निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। आरम्भ में अंषदायी शुल्क 25,000 रुपये होगा जिसे सोसाईटी के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु व्यय किया जायेगा। एच. पी.ई .आर. सी. द्वारा एन.आर. एफ. ई. आर. (NRFER) की सदस्यता ग्रहण हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई है।

9.5 राज्य सलाहकार समिति

आयोग द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2008, 27 मार्च, 2009 को जारी अधिसूचना तथा 30 अगस्त, 2008 तथा 28 मार्च, 2009 को राजपत्र में प्रकाषन द्वारा राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जिसका विवरण परिषिष्ट–V पर दिया गया है। इस समिति में रूचि समूहों, वाणिज्य, कृषि, उपभोक्ता, स्वैच्छिक संस्थाओं, तथा विद्युत उद्योग आदि के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य उपभोक्ता मामलों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचिव भी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य आयोग के अध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे तथा आयोग के सचिव इसके सचिव होंगे। राज्य सलाहकार समिति की 6वीं बैठक 31. 3.2008 को बुलाई गई थी किन्तु कोरम पूरा न होने के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा, हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्ष करते हुए बैठक पुनः आयोजित करने के प्रयास किए गये, परन्तु इन सदस्यों की पूर्व व्यस्तता के कारण वर्ष के दौरान बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

10 तकनीकी/विनियामक/टैरिफ विष्लेषण मामले

10.1 तकनीकी विष्लेषण (टी.ए.) प्रभाग

तकनीकी विष्लेषण प्रभाग कार्यकारी निदेषक (टी. ए.) के अधीन कार्य कर रहा है। तकनीकी विष्लेषण प्रभाग लागत आबंटन तथा रेट डिज़ाईन प्रस्ताव तैयार करना, उनकी समीक्षा करने, संचारण एवं वितरण क्षति का आंकलन तथा विष्लेषण, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन, लोड फोरकास्ट, विद्युत क्रय, अनुबन्धों, ग्रिड कोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोड से सम्बन्धित कार्य करता है। प्रभाग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन आयोग द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों को तैयार करने का दायित्व भी सौंपा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग आई. टी. अनुभाग का कार्य भी देखता है। आई. टी. अनुभाग सिस्टम प्रषासन, डिज़ाइन, आयोग की बैबसाईट के विकास, कम्पयूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का रख–रखाव, न्यायालय सम्बन्धी

कार्यवाही हेतु ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग करना, नियमित बैकअप, दस्तावेजों का सम्पादन तथा मुद्रण, कम्पयूटर प्रषिक्षण, इन्टरनेट से सूचना प्राप्त कर उसे डॉऊन लोड करना, कार्यालय के लिए नवीन आई. टी. आवष्यकताओं का मूल्यांकन, नेटवर्किंग तथा इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य करता है। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गये :–

10.1.1 विनियम बनाना

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2008–09 में निम्नलिखित विनियम जारी किए :–

- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापारी के लिए पात्रता शर्ते) विनियम, 2008
- 21 जुलाई, 2008 को अधिसूचित इन विनियमों में तकनीकी आवष्यकताएं, पूंजी पर्याप्तता आवष्यकताएं, उधार लेने की क्षमता, हिमाचल प्रदेष राज्य में विद्युत व्यापार लाईसैंस प्रदान करने से सम्बन्धित अपात्रता शामिल हैं।

10.1.2 विनियमों में संषोधन :–

विनियमों में निर्माण के अतिरिक्त आयोग को यथा वांछित, पूर्व में अधिसूचित विनियमों में संषोधन भी जारी करने होते हैं। 2008–09 के दौरान निम्नलिखित संषोधन जारी किए गये :–

- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) चतुर्थ संषोधन, विनियम, 2008
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) पांचवा संषोधन, विनियम, 2008
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति व्यय की बसूली) (तीसरा संषोधन) विनियम, 2008,
- हिमाचल प्रदष विद्युत विनियामक आयोग (अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) (प्रथम संषोधन), विनियम, 2008

10.1.3 कोड तथा मानक

हिमाचल प्रदेष विद्युत वितरण कोड तथा हिमाचल प्रदेष ग्रिड कोड पूर्व

प्रषासन प्रक्रिया के उपरान्त अधिसूचित किए गये। हिमाचल प्रदेष विद्युत आपूर्ति कोड लाभार्थियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करने के उद्देष्य से अधिसूचित किया गया।

10.1.4 अन्य अधिसूचनाएं/आदेष :–

वर्ष 2008–09 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं/आदेष जारी किए गयेः–

- पी.पी.ए. के अनुमोदन हेतु संषोधित दिषा–निर्देष।
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग खुली पहुँच प्रभार आदेष, 2008 का निर्धारण आदेष, 2008.
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग अन्तर्राज्यीय व्यापार सीमा निर्धारण आदेष, 2008.
- वास्तविकता सूचना कक्ष।
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड इन्टरएक्टिव तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं ग्रिड हेतु शुल्क (एम. एन. आर. ई. के दिषा–निर्देष के अधीन पात्र) 2009.

10.1.5 विद्युत क्रय अनुमोदन

वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त विद्युत क्रय अनुमोदन तथा आयोग द्वारा इन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

आयोग द्वारा स्वीकृत मॉडल विद्युत क्रय अनुमोदन की सूची :–

क्र. सं.	विकासकर्त्ता का नाम	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता मै. वा.	जिले का नाम जहां स्थित है	पी.पी.ए. अनुमोदन की तिथि
1	मैसर्ज हाईड्रो पावर लिमिटिड, हैदराबाद	वाजिल़	5 मै.वा.	शिमला	1–8–2008
2	मैसर्ज़ हिमालय विद्युत रूरल इलैक्ट्रिक कोओपेरेटिव सोसाईटी	जाबल	2 मै.वा.	शिमला	1–8–2008
3	मैसर्ज़ मोदी पॉवर प्रा. लिमिटिड	अपर मगलाड	5 मै.वा.	शिमला	1–8–2008

4	मैसर्ज़ ब्रुआ हाड्रोवाट प्रा0 लिमिटिड	ब्रुआ	5 मै.वा.	किन्नौर	23–8–2008
5	मैसर्ज़ गेहरा हाड्रोपॉवर प्रा. लिमिटिड	गेहरा	2 मै.वा.	चम्बा	23–8–2008
6	मैसर्ज़ रघुप्रीत हाड्रोपॉवर प्रा. लिमिटिड	करताऊल	2 मै.वा.	किन्नौर	16–9–2008
7	मैसर्ज़ गुजरात कोस्टल कन्सट्रक्षन लिमिटिड	सुईल–।	5 मै.वा.	चम्बा	15–11–2008

10.1.6 दस्तावेजों की जांच/उन पर टिप्पणियां

सी. ई. आर. सी., एफ. ओ. आई. आर., एम. ओ. पी. भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी विभिन्न दस्तावजों की जांच की गई तथा उन पर अपनी टिप्पणियां/राज्य प्रदान की गई।

10.1.7 कोस्टडाटा अनुमोदन

हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2005 के विनियम 13 (विद्युत आपूर्ति व्यय की वसूली) के अनुरूप बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2008–09 से सम्बन्धित प्रस्तुत ई. एच. बी., एच. वी. तथा एल. टी. उपकरणों सम्बन्धी कॉस्ट डाटा बुक की जांच करने के उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

10.1.8 अन्य गतिविधियां :–

- निष्पादन मानक के सम्बन्ध में विनियमों का कार्यान्वयन
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 (नवीनीकृत संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा तथा वितरण लाईसैन्सधारियों द्वारा आपसी सहयोग से उत्पादन) के अधीन गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लघु विद्युत परियोजनाओं की इवैक्युएषन प्रणाली की प्रगति समीक्षा करवाना।
- आयोग से सम्बन्धित वेतन पैकेज़ के विकास को तैयार करना।

10.2 टैरिफ तथा वित्तीय विष्लेषण (टी.एफ.ए.) प्रभाग

टैरिफ तथा वित्तीय विष्लेषण प्रभाग, कार्यकारी निदेषक (टी. एफ. ए) के

अधीन कार्य कर रहा है। यह प्रभाग विद्युत उत्पादन/संचारण एवं वितरण, ऊर्जा क्रय अनुबन्धों की जांच, दीर्घ कालिक टैरिफ सैटिंग योजना, टैरिफ प्रक्रिया हेतु वित्तीय एवं आर्थिक विष्लेषण, वाणिज्यिक एवं वित्तीय मानक लागू करना, वित्तीय निष्पादन की समीक्षा तथा अनुपालन रिर्पोट तैयार करने के अतिरिक्त वित्तीय जांच पड़ताल तथा विद्युत उपयोग संवीक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह तकनीकी संवीक्षा प्रभाग के साथ भी सहयोग करता है। आयोग की सभी कार्यवाहियों में भाग लेना तथा समस्त निवेष की समीक्षा तथा अनुमोदन में सहायता करना भी इसका कार्य है। यह प्रभाग आयोग के उपभोक्ता मामलों सम्बन्धी कार्य भी देखता है।

10.2.1 विनियमों में संषोधन :–

विनियम बनाने के अतिरिक्त इस अनुभाग द्वारा पूर्व अधिसूचित विनियमों में संषोधन जारी करने सम्बन्धी कार्य भी किया जाता है। वर्ष 2008–09 के दौरान निम्नलिखित संषोधन जारी किए गये।

- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2008 (विद्युत उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु शर्ते एवं निबन्धन) (प्रथम संषोधन)
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2008 (ब्हिलिंग टैरिफ तथा रिटेल आपूर्ति टैरिफ निर्धारण हेतु शर्ते एवं निबन्धन) (प्रथम संषोधन)
- हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयेग विनियम, 2008 (उपभोक्ता षिकायतों के निपटान हेतु फोरम स्थापित करने हेतु दिषा निर्देष) (छठा संषोधन)

10.2.2 हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड के लिए एम.वाई.टी. हेतु (वर्ष 2009–11) वार्षिक राजस्व मांग तथा टैरिफ का निर्धारण :–

हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर विनियोगों में विहित प्रक्रिया अपनाने के पष्चात् आयोग द्वारा 30 मई, 2008 को कुल राजस्व आवष्यकता का निर्धारण किया गया तथा प्रथम एम. वाई. टी. नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2009–11) के लिए शुल्क अनुमोदन भी प्रदान

किया गया।

आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2008–09 के लिए 2021.00 करोड़ की कुल राजस्व मांग का अनुमोदन किया गया जिसमें वर्ष 2006–07 का 105.51 करोड़ रुपयों का अधिक्य भी शामिल है जिसे वर्तमान टैरिफ आर्डर में अग्रेषित किया गया।

यह प्रथम बार घटित हुआ है कि किसी भी विनियामक आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड जैसे बंडल्ड अस्तित्व के सम्बन्ध में एम. वाई. टी. नियम आदेष जारी किए गये हैं। एम. वाई. टी. के उद्देष्यों में निष्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु निवेषात्मक ढांचे का समयक विकास, कार्यकुषलता तथा प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करना, निवेषकों को आकर्षित करने तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु इस क्षेत्र की वित्तीय व्यवहारिकता को सुनिष्चित करने ; पारदर्षिता, नियमित व्यवहार के जरिए निरन्तरता लाने, नियमित जोखिम की सम्भावनाओं को कम करने तथा नियंत्रित तथा अनियंत्रित कारणों पर आधारित उपयोगिता तथा उपभोक्ताओं के मध्य जोखिम निराकरण मैकानिज़म द्वारा उनका हल करना कार्य शामिल हैं।

एम. वाई. टी. शासन लागू करने के उद्देष्य से आयोग द्वारा अपने आदेष में मॉडल स्थापित करते हुए लागत पर टैरिफ का संयोजित करने हेतु ठोस प्रयास करते हुए राज्य में विद्युत क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों की ओर इंगित किया है। टैरिफ आदेष की प्रमुख विषेषताएं निम्नलिखित हैंः–

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए गत वर्ष मे लागू शुल्क अर्थात 1.85 रुपये प्रति युनिट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) हिमाचल प्रदेष में घरेलु विद्युत शुल्क देष में सब से कम है।

(ग) कृषि उपभोक्ताओं के शुल्क में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई है।

(घ) विद्युत क्रय लागत में भारी वृद्धि के बावजूद ई. एच. टी. उपभोक्ताओं के विद्युत प्रभार में मात्र 20 पैसे तथा एच. टी. उपभोक्ताओं के विद्युत प्रभार में मात्र 25 पैसों की वृद्धि की गई है।

(ड़) कुछ अन्य वर्गो जैसे, गैर घरेलु, गैर वाणिज्य विद्युत आपूर्ति वाणिज्य

आपूर्ति तथा लघु एवं मध्यम औद्योगिक आपूर्ति के लिए क्रास सब्सिडी कम करने के उद्देष्य से 20 से 30 पैसे की वृद्धि की गई है।

(च) आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेष में बारह निर्देष दिए हैं जिसमें अधिक हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करके नियमित एवं प्रभावी ऊर्जा लेखा परीक्षा, अधिक हानि वाले वृतों की पहचान करने के उपरांत इन क्षेत्रों के लिए क्षति कम करने सम्बन्ध नीति का विकास करने, वितरण ट्रांसफारमर बाधा दर को रोकने, सभी एच. टी. तथा इ. एफ. एच. टी. उपभोक्ताओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु सर्वेक्षण करने, परिसम्पतियों का समयबद्ध रूप में नियमित पंजीकरण, अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाओं से अधिक हिस्सा प्राप्त करने हेतु कदम उठाने तथा राजस्व के आऊटएज़िस तथा क्षति को कम करने के उद्देष्य से निरोधक अनुरक्षण नियमावलियां तथा अधिसूचियों को सुनिष्चित अनुरक्षण के माध्यम से तैयार/अध्यतन किया जाना शामिल है।

(छ) निःषुल्क विद्युत मात्रा, जिसमें आने वाले वर्षो में बढ़ौतरी होने की सम्भावना है को नियंत्रित करने हेतु अत्याधिक वाणिज्यिक नीति तैयार करने के सम्बन्ध में परामर्ष, अन्तराज्यीय तथा अन्तर राज्यीय संचारण प्रणाली को सुदृढ़ करके समेकित संचारण नेटवर्क के लिए योजना तैयार करना, वितरण के फ्रेचाइज़ मॉडल की संवीक्षा तथा वर्तमान जलविद्युत नीति की समीक्षा करना ताकि वह नई राष्ट्रीय जलविद्युत नीति के अनुरूप हो।

10.2.3 हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड को 300 मै0 वा0 वास्पा–II जल विद्युत संयंत्र से उत्पन्न की जाने वाली बिजली की विक्री हेतु शुल्क निर्धारण करना :–

मैसर्ज जयप्रकाष जल विद्युत लिमिटिड द्वारा आयोग को हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड को 300 मै0 वा0 वास्पा–**II** जल विद्युत संयत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली की विक्री दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि (वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2011) तक की नियंत्रित अवधि से सम्बन्धित था। आवेदक द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत तथ्यों, हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड द्वारा दायर की गई विभिन्न

आपत्तियों, सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मामलों, आपत्तियों के सम्बन्ध में आवेदक की प्रतिक्रिया तथा रिकार्ड में उपलब्ध सभी दस्तावेजों पर विचार करने के उपरांत दिनांक 30 मार्च, 2009 को जारी आदेष में वित्त वर्ष 2009 वित्त वर्ष 2011 के लिए टैरिफ का अनुमोदन प्रदान किया गया।

11 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मात्र आठ आवेदन प्राप्त हुए जिनका निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटान किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अधीन वांछित आयोग की सूचना को अद्यतन रूप में आयोग की बेबसाईट में शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार से सम्बन्धित सूचना तथा आयोग की अन्य प्रासंगिक गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

11.1 संगठन का विवरण, कार्य एवं विवरण

11.1.1 संगठन :–

कृपया इसके लिए पैरा संख्या 1 के शीर्षक **''परिचय''** तथा पैरा संख्या 2 के शीर्षक **''आयोग तथा इसका सचिवालय''** देखें।

11.1.2 आयोग के कार्य एवं कत्तर्व्य

कृपया पैरा संख्या 3 शीर्षक **''आयोग के कार्य''** देखें।

11.2 आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य

आयोग द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन तीन प्रभागों नामतः प्रषासन एवं विधि, तकनीकी विष्लेषण तथा टैरिफ एवं वित्तीय विष्लेषण के माध्यम से किया जा रहा है जिनकों निम्न कतर्व्य तथा दायित्व सौंपे गये हैं :–

- **प्रषासन, वित्तीय एवं विधि प्रभाग**

  कृपया पैरा संख्या 5.1 **''कार्मिक एवं प्रषासन''** देखें।

- **तकनीकी** विष्लेषण **प्रभाग**

कृपया पैरा संख्या 10 ''**तकनीकी/विनियामक/टैरिफ** विष्लेषण **मामले**'' देखें।

- **टैरिफ एवं वित्तीय** विष्लेषण **प्रभाग**
  कृपया पैरा संख्या 10.2 ''**टैरिफ एवं वित्तीय** विष्लेषण **प्रभाग मामले**'' देखें।

11.3 निरीक्षण के माध्यमों तथा दायित्वों सहित निर्णय प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यवधि

13.3.1 अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों तथा कार्यों का निष्पादन सीधी रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा मुख्य निर्णय आयोग के स्तर पर लिए जाते हैं।

11.3.2 आयोग के समक्ष अपनाई जानी कार्यविधि प्रक्रिया हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन, विनियम, 2005 के अध्याय–।। में विनिदिष्टि हैं।

11.4 आयोग द्वारा अपने कार्य सम्पादन हेतु स्थापित किए गये–मानक :–

आयोग द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु कोई मानक स्थापित नहीं किए गये हैं। हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (परामर्षदाताओं की नियुक्ति)विनियम, 2005 के अधीन समय–समय पर नियुक्त परामर्षदाता तथा वर्तमान कर्मचारी वर्ग आयोग के नैत्यक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

11.5 आयोग के पास/अधीन नियम, विनियम, निर्देष, नियमावली तथा रिकार्ड

11.5.1 नियम तथा विनियम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग को अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अधिनियम तथा नियमों के अनुरूप विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। अधिनियम की धारा 180 के अधीन नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में भी इसी प्रकार के प्रावधान किए

गये हैं।

11.5.1.2 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अभी तक बनाए गये विनियमों का विवरण नीचे दिया जा रहा है

क्र.सं.	विनियम का विवरण	राजपत्र में प्रकाषित अधिसूचना जारी करने की तिथि
1	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता षिकायत के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिषा निर्देष) विनियम, 2003	23.10.2003
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता षिकायत के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिषा निर्देष) विनियम, 2004	21.06.2004
(ख)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता षिकायत के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिषा निर्देष) (द्वितीय संषोधन) विनियम, 2005	18.05.2005
(ग)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता षिकायत के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिषा निर्देष) (तृतीय संषोधन) विनियम, 2005	20.12.2005
(घ)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता षिकायत के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिषा निर्देष) (चतुर्थ संषोधन) विनियम, 2007	25.08.2007

(ड़)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता षिकायत के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिषा निर्देष) (पांचवां संषोधन) विनियम, 2008	27.02.2008
(च)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता षिकायत के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिषा निर्देष) (छठा संषोधन) विनियम, 2008	
2	हिमाचल प्रदेष विद्युत ओमबड्समैन (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2004	05.04.2004
3	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्ते तथा निबन्धन) विनियम, 2004	09.06.2004
4	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैसधारी के लिए सामान्य शर्तें) विनियम, 2004	0.06.2004
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें (प्रथम संषोधन) विनियम, 2005	22.02.2005
5	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) विनियोग, 2004	19.04.2004
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) (प्रथम संषोधन) विनियोग, 2005	19.01.2005
(ख)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) (द्वितीय संषोधन) विनियोग, 2005	20.12.2005
(ग)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) (तृतीय संषोधन) विनियोग, 2007	20.08.2007
(घ)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत	29.02.2008

	ओमबड्समैन) (चतुर्थ संषोधन) विनियोग, 2008	
6	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन की नियुक्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन) ओदष, 2004	11.05.2004
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन की नियुक्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन) (प्रथम संषोधन) ओदष, 2007	26.11.2007
7	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (संचारण लाईसैंसधारी के लिए सामान्य षर्तें) विनियम, 2004	11.06.2004
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (संचारण लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2005	22.02.2005
8	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें) विनियम, 2004	11.06.2004
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (व्यापारी लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें (प्रथम संषोधन) विनियम, 2005	22.02.2005
9	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (राज्य परामर्ष समिति) विनियम, 2004	22.06.2004
10	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (लाईसैंसधारी के अनुरोध पर विद्युत आपूर्ति हेतु शुल्क) विनियम, 2004	22.06.2004
11	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2001	23.04.2001
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य	10.07.2003

	संचालन) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2003	
(ख)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (चतुर्थ संषोधन) विनियम, 2008	01.08.2008
(ग)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (पांचवा संषोधन) विनियम, 2008	21.07.2008
12	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005	14.01.2005
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (तृतीय संषोधन) विनियम, 2008	14.01.2008
13	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (राज्य आयोग द्वारा नोटिस प्रकाषित तथा इसके तामिल किए जाने की विधि) विनियम, 2005	24.03.2005
14	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की बसूली) विनियम, 2005	24.03.2005
15	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की कार्य विधि) विनियम, 2005	24.03.2005
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की कार्य विधि) विनियम, 2008	15.11.2008
16	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति राषि) (कठिनाईयों का निराकरण) (प्रथम) आदेष, 2005	30.03.2005
17	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (हिमाचल प्रदेष राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का अनुमोदन) निर्देष, 2005	06.04.2005
18	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (खुली	03.06.2005

	पहुंच हेतु शते एवं निबन्धन) विनियम, 2005	
19	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (परामर्षदात्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2005	25.07.2005
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु शर्ते तथा निबन्धन) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2008	
20	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति राषि) कठिनाईयों का निराकरण (प्रथम) आदेष, 2005	06.10.2005
21	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैंसधारी निष्पादन के मानक) विनियम, 2005	31.10.2005
22	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) विनियम, 2005	31.10.2005
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2005	09.12.2005
(ख)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) (द्वितीय संषोधन) विनियम, 2006	21.08.2006
(ग)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) (तृतीय संषोधन) विनियम, 2008	01.05.2008
23	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क अदा करने सम्बन्धी दिषानिर्देष तथा प्रपत्र) विनियम, 2005	31.10.2005
24	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग	02.12.2005

	(वितरण लाईसैंसधारी तथा संचारण लाईसैंसधारियों की अन्य व्यापारों की आय की परिगणना) विनियम, 2005	
25	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (संचारण व्हिलिंग तथा इन्टरविनिंग सुविधाओं के लिए प्रभार तथा राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा लिए जाने वाले प्रभार एवं शुल्क) विनियम, 2006	16.09.2006
26	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (क्रास सब्सिडी समाप्ति) विनियम, 2006	07.12.2006
27	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (नवीनीकृत योग्य साधनों से विद्युत प्राप्ति तथा वितरण लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत का सह उत्पादन) विनियम, 2007	21.06.2007
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (नवीनीकृत योग्य साधनों से विद्युत प्राप्ति तथा वितरण लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत का सह उत्पादन) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2007	16.11.2007
28	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (व्हिलिंग टैरिफ तथा रिटेल स्पलाई टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2007	15.10.2007
(क)	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (व्हिलिंग टेरिफ तथा रिटेल स्पलाई टेरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2008	19.07.2008
29	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (जन विद्युत उत्पादन हेतु उत्पादन शुल्क निर्धारण की शर्तें तथा निबन्धन) विनियम, 2007	17.10.2007
30	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग	

	(संचारण शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें तथा निबन्धन)	
31	हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापारी बनने हेतु पात्रता शर्तें) विनियम, 2008	21.07.2008

इन विनियमों की जानकारी आयोग की बैवसाईट पर भी उपलब्ध है।

11.5.2 निर्देष, नियमावली तथा रिकार्ड :–

उपरोक्त विनियमों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष विद्युत विनायमक आयोग द्वारा अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नलिखित दिषा निर्देष/ आदेष/संकल्पना पत्र अधिसूचित किए हैं :–

1 लोड फोरकास्ट, संसाधन नियोजन तथा विद्युत प्रापण प्रक्रिया हेतु दिषा निर्देष।

2 हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन तथा पुर्नसंरचना हेतु संकल्पना पत्र।

3 हिमाचल प्रदेष राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के अनुबन्ध हेतु दिषा निर्देष, 2005.

4 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग खुली पहुँच प्रभार आदेष, 2008 (Open Access Charges Order, 2008) का निर्धारण।

5 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग अन्तराज्यीय व्यापार सीमा निर्धारण आदेष, 2008.

6 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड इन्टरएक्टिव फोटो बोल्टिक हेतु टैरिफ तथा सोलर पॉवर प्रोजेक्टस (एम. एन. आर. ई. दिषा निर्देषों के अधीन पत्र), 2009

11.6 दस्तावेजों के वर्ग जो आयोग के पास अथवा आयोग के अधीन हैं का विवरण

11.6.1 आयोग द्वारा रखे गये दस्तावेजों के वर्ग मुख्य रूप से निम्न से सम्बन्धित हैं

(i) आयोग को सौंपे गये कार्य तथा एतद सम्बन्धी जारी ओदषों की परिधि में आने वाले मामलों तथा विभिन्न एजेंसियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाएं।

(ii) ऐसे मामले जिनके सम्बन्ध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 की उप धारा 2 के अधीन राज्य सरकार से वैधानिक राय ली गई हो।

(iii) अधिनियम की धारा 128 के अधीन मामलों की जांच

(iv) आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन, संचारण थोक तथा खुदरा आपूर्ति, टैरिफ, हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत के लिए विभिन्न अध्ययन विनियमों के निर्माण, विधिक तथा तकनीकी सहायता आदि के लिए नियुक्त परामर्षदात्ताओं से सम्बन्धित पत्राचार।

11.7 अपनी नीतियां बनाने तथा उनके प्रषासन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के साथ उनके सम्बन्ध में किए गये विद्यमान परामर्ष सम्बन्धी कोई भी विवरण।

11.7.1 हिमाचल प्रदेष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा अपनी कार्यवाही के दौरान उपभोक्ता हितों की पैरवीं करने हेतु हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत वरिष्ठ अभियन्ता श्री पी. एन. भारद्वाज की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा बनाए जाने वाले प्रारूप विनियमों/निर्देषों को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व राजपत्र तथा समाचार पत्रों में प्रकाषित किए जाते हैं ताकि इस सम्बन्ध में आवष्यक सुझाव प्राप्त हो सके।

11.8 आयोग द्वारा परामर्ष के उद्देष्य से गठित बोर्ड, परिषदों, समितियों तथा अन्य ऐसे निकायों जिनकी संख्या दो या इससे अधिक हो, की बैठकें सार्वजनिक करने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण की पहुँच तक पहुंचाने की प्रक्रिया आरम्भ की है। कृपया पैरा संख्या 7 के अधीन शीर्षक **''राज्य सलाहाकर समिति''** तथा पैरा संख्या 9 के अधीन **''समन्वय फोरम स्थापित करना तथा इसकी सदस्यता''** शीर्षक देखें।

11.9 आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देषिका :–

11.9.1 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग के क्योंथल कमर्षियल कम्पलैक्स खलीनी षिमला–171002 स्थित कार्यालय की निर्देषिका:–

EPABX : 2627263, 2627907, 2627908

FAX	:	2627162
E-Mail	:	hperc@rediffmail.com
WEBSITE	:	www.hperc.org

11.9.2 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देषिका

क्र. सं.	नम	पदनाम	दूरभाष नं. / एक्सटैंषन	आवास संख्या
1	श्री योगेष खन्ना	अध्यक्ष	2627262	2655082
2	श्रीमती पूर्णिमा चौहान	सचिव	2621003	–
3	श्री जे. पी. काल्टा	कार्यकारी निदेषक (टी.ए.)	2627983	2673481
4	श्री मेहष सरकेक	कार्यकारी निदेषक (टी.एफ.ए)	306	2811633
5	श्री आर.एस. जाल्टा	निदेषक (टी एण्ड डी)	305	2670596
6	श्री वकील सिंह	वरिष्ठ निजी सचिव	2627262	2806208
7	श्री जे.एस. रेटका	कार्मिक एवं प्रषासनिक अधिकारी	318	2674033
8	श्रीमती नीता गौतम	उप निदेषक	319	2624618
9	श्री अजय चड्डा	उप निदेषक	322	2657452
10	श्री राजीव सिंधु	उप निदेषक	320	2811797

11	श्री चन्द्र वर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	315	9418011720
12	श्री मोहिन्द्र सिंह	निजी सहायक	2621003	2837249
13	श्री सतीष घारू	निजी सहायक	2627978	2623477
14	श्री अजय कौषिक	निजी सहायक	2627263	2805744
15	श्री अषोक गौतम	निजी सहायक	—	—
16	श्री बी.एस. कंवर	सिनियर स्केल स्टेनोग्राफर	2627262	5533690
17	श्री सुषील कष्यप	अधीक्षक ग्रेड–।।	316	2842831
18	श्रीमती रमा महाजन	वरिष्ठ सहायक	312	2674858
19	श्री कमल दिलैक	वरिष्ठ सहायक	311	2628025
20	श्री राज कुमार	रिकार्ड कीपर	321	—
21	श्री जगत राम	—	—	—
22	श्रीमती रेनु वत्स	जुनियर स्केल स्टेनोग्राफर	312	2837118
23	श्री दिनेष चौहान	कम्पयुटर	403	—

		आपरेटर		
24	श्री ओम प्रकाष	चालक	—	2838248
25	श्री सैन राम	चालक	—	9816041592
26	श्री रूम सिंह	चालक	—	9816002465
27	श्री मनमोहन	सेवादार	—	2624013
28	श्री किषोरी लाल	सेवादार	—	2626745
29	श्री मेद राम	सेवादार	—	9816021866

11.10 आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली विनियमों में किए गये प्रावधानों के अध्यधीन हैं।

11.10.1 आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय कुल वेतन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

क्र.सं.	नम	प्दनाम	कार्यालय संख्या
1	श्री योगेष खन्ना	अध्यक्ष	52,997—00
2	श्रीमती पूर्णिमा चौहान	सचिव	54,170—00
3	श्री जे. पी. काल्टा	कार्यकारी निदेषक (टी.ए.)	62,412—00
4	श्री मेहष सरकैक	कार्यकारी निदेषक (टी.एफ.ए)	57,571—00
5	श्री आर.एस. जाल्टा	निदेषक (टी एण्ड डी)	55,799—00
6	श्री बकील सिंह	वरिष्ठ निजी सचिव	44,407—00
7	श्री जे.एस. रेटका	कार्मिक एवं प्रषासनिक अधिकारी	33,966—00
8	श्रीमती नीता गौतम	उप निदेषक	41,285—00
9	श्री राजीव सिंधु	उप निदेषक	44,914—00
10	श्री अजय चड्डा	उप निदेषक	34,689—00
11	श्री चन्द्र वर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	25,523—00

12	श्री मोहिन्द्र सिंह	निजी सहायक	35,125–00
13	श्री सतीष घारू	निजी सहायक	33,526–00
14	श्री अजय कौषिक	निजी सहायक	33,895–00
15	श्री अषोक गौतम	निजी सहायक	31,419–00
16	श्री सुषील कष्यप	अधीक्षक ग्रेड–।।	33,026–00
17	श्रीमती रमा महाजन	वरिष्ठ सहायक	21,222–00
18	श्री कमल दिलैक	वरिष्ठ सहायक	20,522–00
19	श्री बी.एस. कंवर	सिनियर स्केल स्टेनोग्राफर	22,868–00
20	श्री राज कुमार	रिकार्ड कीपर	27,791–00
21	श्रीमती रेनु वत्स	जुनियर स्केल स्टेनोग्राफर	22,619–00
22	श्री दिनेष चौहान	कम्पयुटर आपरेटर	10,971–00
23	श्री जगत राम	लिपिक	14,785–00
24	श्री ओम प्रकाष	चालक	27,075–00
25	श्री रूम सिंह	चालक	15,699–00
26	श्री सैन राम	चालक	23,648–00
27	श्री मनमोहन	सेवादार	15,125–00
28	श्री किषोरी लाल	सेवादार	9,342–00
29	श्री मेद राम	सेवादार	13,328–00

11.10.2 कर्मचारियों के सेवा विनियमों का हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है। सैकिन्डमैंट अधार पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन उनके अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र के आधार पर दिया जा रहा है जबकि स्थाई रूप से अन्तरलियित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को प्रस्तावित प्रारूप सेवा विनियमों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है।

11.11 प्रत्येक ऐजेन्सी को आंबटित बजट, सभी संयंत्रों का विवरण, प्रस्तावित व्यय

तथा किए गये वितरण की रिपोर्ट कृपया पैरा संख्याः 8 **''वित्त एवं लेखा''** देखें।

11.12 उपदान कार्यक्रमों के लिए आंबटित धन सहित कार्यनिष्पादन की विधि तथा ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित लोगों का विवरण :–

आयोग एक अर्द्ध न्यायायिक निकाय है अतः उपदान कार्यक्रम इसके कार्यो की परिधि में नहीं आते।

11.13 छूट, परमिट अथवा प्राधिकार जो कि आयोग द्वारा प्रदान किए गये हो का विवरण :–

आयोग द्वारा इस प्रकार की कोई भी छूट, परमिट तथा प्राधिकार प्रदान नहीं किए गये हैं।

11.14 आयोग के पास उपलब्ध सूचना जिसे इलैक्ट्रानिक रूप में रखा गया हो

आयोग द्वारा जारी सभी विनियम/निर्देष तथा महत्त्वपूर्ण आदेष इलैक्ट्रोनिक माध्यम से आयोग की बैबसाईट www.hperc.org. में उपलब्ध है।

11.15 पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि इसे सार्वजनिक प्रयोग हेतु रखा गया हो सहित नागरिकों की सूचना हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग विनियम 23 (कार्य संचालन) के अधीन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही का रिकार्ड सभी के लिए खुला है कोई भी पक्ष अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्यवाही के दौरान अथवा आदेषों के पारित होने पर शुल्क अदा करने तथा आयोग द्वारा लगाई गई अन्य शर्तो का अनुपालन करने के उपरांत सूचना प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विनियमों के विनियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाने तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर आयोग के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु खुला नहीं है।

11.16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम तथा अन्य

विवरण :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 तथा 9 के अनुपालन में आयोग द्वारा अधिसूचित लोक सूचना अधिकारियों का विवरण :

1	अपील अधिकारी	श्रीमती पूर्णिमा चौहान, सचिव, हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग
2	लोक सूचना अधिकारी	श्री जे.एस. रेटका, कार्मिक एवं प्रषासनिक अधिकारी
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्रीमती रमा महाजन, वरिष्ठ सहायक

11.17 अन्य कोई ऐसी सूचना जिसे विहित किया गया हो तथा जो इन प्रकाषनों में प्रकाषित न की गई होः

ऐसी कोई भी अन्य सूचना विहित नहीं है।